

ए.11018 / 39 / 2016—एम.एच II / एन.सी.डी.I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान,
मुंबई में अनुसंधान अधिकारी पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम
संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के
का.ज्ञा. सं. एबी 14017 / 61 / 2008 स्था. (आर आर) के
अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
संस्थान, मुंबई में अनुसंधान अधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का
प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या
सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की
तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर
सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा
नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण
भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप
में या इस ई-मेल पते s.dharmander@nic.in पर भेज सकते
हैं।

2021 जून 2021

(आर बी कुशवाह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं० 011-23061342

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीखः

2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, समूह 'ख', राजपत्रित, भर्ती नियम, 1993 को, जहाँ तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, अनुसंधान अधिकारी के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, अनुसंधान अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना** - ये नियम इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता:** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है;**उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :**

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई वात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्व अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी में आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	01*(एक) न (2021)	माधारण केन्द्रीय सेवा, ममूल 'ब', राजपत्रिन, अनुसंधानवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	लागू होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अधार आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	<p>आवश्यक:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिओथेरेपी/आवासायिक थेरेपी/प्रास्टीकिंग एवं ऑर्थोटिक्स में क्रानकोनर की डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में पुनर्वास के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुसंधान का अनुभव। <p>वांछनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मंबंधित विषय में पी.एचडी। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में आवश्यक अर्हता से संबद्ध शिखण का अनुभव। <p>टिप्पणि 1: अर्हताएं अन्यथा मुश्वित अन्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुमार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पणि 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुमार अनुमूलित जनजातियों और अनुमूलित जनजातियों के अन्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्षियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यवितरणों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की इथा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	ममूह 'ब' विभागीय पुष्टि समिति (एउटे के संबंध में विचार करने के लिए) :- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (2) उप निदेशक(पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (3) परामर्शदाता (एनस्टीमिया) (4) संबंधित विभागाध्यक्ष	-अध्यधा; -सदस्य; -सदस्य; -सदस्य	लागू नहीं होता।

[पा. 11018/39/2016-एमा.च II]

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार